भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

राज्य मुख्यालय,
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल – 02
Phone: 0755-2661263,2737446 **Fax**: 2661263
Website:bsgmp.net **E_mail**: bsgmadhyapradesh@gmail.com

क्र0 / 1291 / स्था.–का.अ. / रा0मु0 / 2016 भोपाल, दिनांक 16.06.2016

प्रतिष्ठा में,

श्रीमती / सुश्री / श्रीमान.....

.....

.....

विषय :– दिनांक 24 मई–2016 को आयोजित राज्य कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवाही विवरण।

———000———

माननीय,

उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक **24 मई–2016** को भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय, भोपाल में आयोजित **राज्य कार्यकारिणी** की बैठक का कार्यवाही विवरण आपकी ओर सादर प्रेषित ।

संलग्न :– **कार्यवाही विवरण**

राज्य सचिव 16/6/2016
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

दिनांक 24 मई 2016 को आयोजित राज्य कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवाही विवरण

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. राज्य कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 24 मई 2016 को दिन मंगलवार, दोपहर 01:00 बजे राज्य मुख्यालय, भोपाल के सभाग्रह में माननीय श्री पारसचंद्र जैन, मत्री, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन एवं राज्य मुख्य आयुक्त, भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, बैठक में अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

क्र.	पदाधिकारी का नाम	पद
01	श्री पारस चंद्र जैन	राज्य मुख्य आयुक्त
02	श्री डी.एस.राघव	राज्य आयुक्त–स्काउट
03	सुश्री शीला दाहिमा	राज्य आयुक्त–गाइड
04.	डॉ बलवान सिंह	राज्य कोषाध्यक्ष
05.	श्री प्रकाश दिसोरिया	राज्य सचिव एवं राज्य संगठन आयुक्त–स्काउट
06.	डॉ मुमताज जहाँ खान	संयुक्त राज्य सचिव
07.	श्री प्रकाश चित्तौड़ा	सहायक राज्य आयुक्त–स्काउट
08.	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	सहायक राज्य आयुक्त–स्काउट
09.	श्री चन्द्र प्रकाश शिवहरे	सहायक राज्य आयुक्त–स्काउट
10.	श्री राजीव जैन	सहायक राज्य आयुक्त–स्काउट
11.	श्री के.के. द्विवेदी	सहायक राज्य आयुक्त–स्काउट
12	श्रीमती डेजी रानी जैन	सहायक राज्य आयुक्त–गाइड
13.	श्रीमती गीता झा	सहायक राज्य आयुक्त–गाइड
14.	श्रीमती अनिता अकुलंनेरकर	राज्य संगठन आयुक्त–गाइड
15.	श्री एच.सिद्धिकी	राज्य प्रशिक्षण आयुक्त–स्काउट
16.	श्री आर.डी.सोलंकी	मुख्यालय आयुक्त–स्काउट
17.	श्री डी.एस.कुशवाह	मुख्यालय आयुक्त–स्काउट
18.	श्री आर आर परमार	जिला मुख्य आयुक्त–प्रतिनिधि
19.	श्री थामस भूरिया	जिला कमिश्नर–स्काउट प्रतिनिधि
20.	श्री एस.पी. त्रिपाठी	जिला कमिश्नर–स्काउट प्रतिनिधि
21.	श्रीमती आबिदा रजा	जिला कमिश्नर–गाइड प्रतिनिधि
22.	श्री अरूणेन्द्र तिवारी	आजीवन सदस्य प्रतिनिधि
23.	श्री भंवर शर्मा	साधारण सदस्य प्रतिनिधि
24	श्री विनोद मालवीय	ग्रुप स्काउटर प्रतिनिधि
25	श्रीमती संजू मिश्रा	ग्रुप गाइडर प्रतिनिधि
26	श्री आर के तिवारी	लीडर ट्रेनर–स्काउट प्रतिनिधि
27	सुश्री विजया गहलोत	लीडर ट्रेनर–गाइड प्रतिनिधि
विशेष आमंत्रित		
01	श्री आलोक खरे	उप संचालक, लोक शिक्षण म.प्र. शासन

श्री प्रकाश दिसोरिया, राज्य सचिव द्वारा दी गई गणपूर्ति (कोरम) की सूचना के पश्चात ईश प्रार्थना के साथ बैठक प्रारंभ हुई। श्री प्रकाश चित्तौड़ा, सहा.राज्य आयुक्त–स्काउट ने कहा कि माननीय राज्य आयुक्त के नेतृत्व में सिंहस्थ 2016 में भारत स्काउट एंव गाइड द्वारा सराहनीय कार्य किया गया । सिंहस्थ में व्यवस्था की विश्व स्तर पर भी सराहना हो रही है आज माननीय मंत्री जी जो हमारे राज्य मुख्य आयुक्त भी है हमारे बीच उपस्थित है अतः हम सभी माननीय राज्य मुख्य आयुक्त महोदय का कार्यकारिणी की ओर से अभिनंदन करते हैं । राज्य सचिव ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। राज्य आयुक्त (स्काउट/गाइड), एवं उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारियों का पुष्पहार एवं पुष्पगुच्छ से संस्था के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। वर्तमान कार्यकारिणी के अनेक सदस्यों के

प्रथम बार उपस्थित होने पर सभी सदस्यों का पुष्प द्वारा स्वागत करने के पश्चात सभी सदस्यों ने अपना परिचय दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

बिन्दु क्र.–01 – गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि –

दिनांक 23 **जनवरी – 2016** को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवाही विवरण राज्य सचिव द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सदन से पुष्टि चाही गई ।

शहडोल से उपस्थित सदस्य के द्वारा बैठक की जानकारी व आवश्यक सामग्री समय पर न मिलने की जानकारी सदन को दी गई । माननीय राज्य मुख्य आयुक्त ने इस अवसर पर कहा कि मुझे प्राप्त जानकारी अनुसार बैठक का एजेंडा एंव सम्बन्धित सामग्री सदस्यों को पर्याप्त समय पूर्व प्राप्त हुई है । **फिर भी भविष्य में सदस्यों को सूचना सहित बैठक हेतु आवश्यक एजेंडे 04–05 दिवस पूर्व मिल जावे इसका ध्यान रखा जावे।**

राज्य सचिव ने कहा कि माननीय सदस्यों को पत्र के साथ उपलब्ध ई–मेल, एस.एम. एस. द्वारा भी संदेश भेजे गये हैं। संस्था द्वारा बैठक हेतु निर्धारित एजेंडा सामग्री समय पर प्राप्त नहीं हुई तो इस सम्बन्ध में भविष्य में ऐसा नही होगा इस हेतु सदन को आश्वासन दिया।

श्री प्रकाश चित्तौड़ा ने गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की।

निर्णय:–सदन ने सर्वानुमति से कार्यवाही विवरण की पुष्टि की ।

बिन्दु कृ–02 – गत बैठक के पालन प्रतिवेदन की पुष्टि :–

राज्य सचिव द्वारा दिनांक **23 जनवरी 2016** को आयोजित राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन समक्ष के समक्ष पावर पाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत करते हुये कहा उसकी एक प्रतिलिपि सदस्यों के पास उपलब्ध है कृपया माननीय सदस्य अवलोकन करें एवं चर्चा कर सकते हैं ।

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि 1. (अ) अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरण निराकरण हेतु मा. राज्य मुख्य आयुक्त के निर्देशानुसार 1. अपीलीय 2. समयमान वेतनमान समितियों का गठन किया गया

(1) अपीलीय समिति–अपीलीय समिति इस प्रकार है–

1. श्रीमती सरोज राजपूत, उपाध्यक्ष–समिति अध्यक्ष
2. डॉ बलवान सिंह, आजीवन सदस्य–समिति सदस्य
3. श्री विजय आंबेकर, एल.टी.(स्काउट)–सदस्य

(2)समयमान वेतन निर्धारण समिति–समयमान निर्धारण समिति इस प्रकार है–

1. डॉ बलवान सिंह, आजीवन सदस्य–समिति अध्यक्ष
2. श्री विजय आंबेकर, एल.टी.(स्काउट)–सदस्य
3. श्री जी.डी.ताम्रकार, तत्कालीन लेखाधिकारी।

(ब) राज्य मुख्यालय के भवन किरायेनामा, पत्रिका, न्यायालीन प्रकरणों हेतु गठित समिति इस प्रकार है–

1. डॉ बलवान सिंह, आजीवन सदस्य–समिति अध्यक्ष
2. श्री एम.एस.राठौर, सेवा नि.स. संचालक, उज्जैन –सदस्य
3. श्री प्रकाश दिसोरिया, राज्य सचिव प्रभार।

– उपरोक्त समितियों की बैठक पश्चात् कार्यवाही प्रचलन में है।

(2) राज्य मुख्य आयुक्त महोदय ने राज्य कार्यकारिणी के रिक्त पदाधिकारियों एवं समिति का गठन कर दिया है कुछ समिति का गठन प्रक्रियाधीन है।

(3) राज्य कार्यकारिणी बैठक दिनांक 20/9/2014 को 114 आजीवन सदस्यों की सदस्यता को बाधित (समाप्त) कर दिया गया था उनकी सदस्यता पूर्ववत् बहाल कर दी गई है।

श्री भंवर शर्मा ने सदस्यों की सदस्यता बहाल करने हेतु सदस्यों के ऊपर किसी भी प्रकार के आरोप नहीं होने बाबत बात कही जिस पर राज्य मुख्य आयुक्त ने कहा कि इसे देखा जाना चाहिये । राज्य मुख्य आयुक्त ने निर्देश दिये जिन सदस्यों की सदस्यता बहाल की गई है उन्हें इस बात की सूचना पहूँचना चाहिए तथा बेबसाईट पर भी सर्कुलर अपलोड किया जावे।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने पालन प्रतिवेदन की पुष्टि हेतु सदस्यों से सहमति चाही ।

निर्णय :– **कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही पर सहमति व्यक्त करते हुए पालन प्रतिवेदन की सदन द्वारा पुष्टि की गई।**

बिन्दु कृ–03 – वार्षिक प्रतिवेदन 2014–15 का अनुमोदन :–

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि सत्र 2014–15 का वार्षिक प्रतिवेदन का माननीय सदस्यों के समक्ष संस्था की वर्ष भर की उपलब्धियों के साथ अवलोकनार्थ प्रस्तुत है पूर्व राज्य परिषद में स्वीकति

अनुसार वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं ।

वार्षिक प्रतिवेदन में संस्था की प्रमुख उपलब्धियों/सम्मिलित जानकारी के बारे में राज्यसचिव अवगत कराते हुए बताया कि प्रतिवेदन में विभिन्न समितियों की जानकारी, प्रमुख उपलब्धियाँ, अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, संभाग व जिला स्तरीय, कार्यक्रम में प्रतिभागिता, गुणात्मक स्थिति सभी विभाग की, अलंकरण सूची, वयस्क प्रशिक्षण–स्काउट प्रतिवेदन, दल पंजीयन लक्ष्य–पूर्ति विवरण, जिला संघ निर्वाचन की जानकारी, वार्षिक योजना, वार्षिक कार्यक्रम एवं सम्बन्धित अन्य जानकारियों का समावेश है।

राज्य सचिव ने संस्था की उपलब्धियों एवं राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की भी जानकारी सदस्यों को प्रदान की जो निम्नानुसार है :–

1. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित श्रीलंका व पाकिस्तान जंबूरी कार्यक्रमों में 02 कार्यक्रमों में मध्यप्रदेश के 10 युवाओं ने प्रतिभागिता की । राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में मध्यप्रदेश से युवा कार्यक्रम अन्तर्गत 1214 स्काउट–गाइड एवं वयस्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1074 कब, स्काउट, रोवर, फ्लाक लीडर, गाइड कैप्टिन, रेंजर ने प्रतिभागिता की।
2. प्रदेश के 119 स्काउट एवं 76 गाइड राज्य पुरस्कार से व 33 स्काउट एवं 15 गाइड, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिये चयनित हुये ।
3. संभाग स्तर पर तृतीय सोपान 673 स्काउट एवं 304 गाइड ने प्राप्त किया।
4. वयस्क प्रशिक्षण के अंतर्गत लीडर ट्रेनर स्काउट 1, सहा.ली.ट्रे. कब 1, स्काउट 3, बुलबुल 1, गाइड 1, रेंजर 1, प्री सहायक लीडर ट्रेनर स्काउट 3 हुए। इसी प्रकार हिमालय वुड बैज में कब 5, स्काउट 11, रोवर 1, बुलबुल 5, गाइड 6 रेंजर 1 कुल 29 हुये। एडवांस कब मास्टर 30, स्काउट मास्टर 107, गा.के . 28 कुल 165 हुये। बेसिक कब मा. 185, स्काउट मास्टर 472, रो.ली. 32, फ्ला. ली. 35, गा.के. 133, रे. ली. 12 इस प्रकार कुल 869 स्काउटर–गाइडर प्रशिक्षित हुए।

राज्य सचिव ने सदन को अवगत कराते हुए कहा कि राज्य में लगभग 6.50 लाख पंजीकृत बालक–बालिकाओं, युवक–युवतियों एवं वयस्कों को इस आंदोलन से जोड़ने हेतु वयस्क प्रशिक्षण एवं युवा कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से शिक्षक/शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण एवं युवाओं के कार्यक्रम हेतु विशेष प्रयास किये गये है जिससे आम जनों में जन चेतना, जागृति लाने तथा पल्स पोलियो, वृक्षारोपण, जल सेवा, यातायात सप्ताह आदि अवसरों पर हमारे स्काउट–गाइड, स्काउटर–गाइडर को निरंतर सेवा कार्य करने के अवसर प्राप्त हो हुए हैं। प्रदेश के कब–बुलबुल, स्काउट–गाइड, रोवर–रेंजर के लिये क्रमशः कब–बुलबुल उत्सव, पेट्रोल लीडर केंपूरी, आपदा प्रबंधन, रोवर–रेंजर समागम, रोमांचकारी ट्रेकिंग के आयोजन किये ।हम आपके संबल तथा मध्यप्रदेश शासन के निरंतर सहयोग से सुनागरिकता के इस शैक्षणिक आंदोलन को नये आयाम एंव कीर्तिमान स्थापित करने के पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। कृपया वार्षिक प्रतिवेदन 2014–15 का अनुमोदन करना चाहेंगे।

श्री प्रकाश चित्तौड़ा ने कहा कि हम राष्ट्र में कभी द्वितीय स्थान पर थे हम संकल्प लें कि मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर आये। सदन के सदस्यों ने श्री चित्तौड़ा जी के साथ सहमति व्यक्त करते हुए स्काउटिंग के निंरतर उत्थान हेतु कार्यरत रहने का संकल्प व्यक्त किया। श्री चित्तौड़ा ने कहा कि निचले स्तर पर स्काउटिंग सदस्यता कम है। वैंचर क्लब के प्रति निष्क्रियता है अनेक स्कूलों में दल नहीं है। गतिविधियों में वृद्धि होने पर ही संस्था की आय में वृद्धि होगी और नियमित कार्य होंगे।

श्री राजीव जैन ने कहा कि प्राप्त सुझावों पर अमल हेतु समिति बने जो नियमित मॉनिटरिंग करें। जानकारी वेबसाईट पर भी अपलोड हो।

श्री प्रकाश चित्तौड़ा ने कहा कि तदाशय समिति बनाने हेतु मा. राज्य मुख्य आयुक्त निर्णय लेंगे।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने कहा कि प्रदेश में मेरे अनुसार सभी जिला संघ सक्रिय नहीं है। अनेक जिलो की प्रतिभागिता उज्जैन में सिहंस्थ में नहीं दिखी। इसके लिए प्रयास हो। इस हेतु सभी बिंदु तय होकर जिला संघों पर समीक्षा होना चाहिए।

श्री विनोद मालवीय ने कहा कि संस्था का वर्ष 2014–15 का वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार उपलब्धियाँ संस्था स्तर पर अधिकारियो/कर्मचारियों की सतत कोशिश एवं ब्लाक एवं जिले स्तर पर किये गये सार्थक प्रयासो के कारण संभव हो पाया है।

<u>निर्णय</u> :–संस्था की उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त करते हुये सदस्यों वार्षिक प्रतिवेदन को अनुमोदित किया गया ।

<u>कार्यवाही</u>– संयुक्त राज्य सचिव, राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट–गाइड), राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट–गाइड)

बिन्दु क. 04 :- ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2014-15 का अवलोकन अनुमोदन।

डॉ बलवान सिंह, राज्य कोषाध्यक्ष ने संस्था का वर्ष 2014-15 का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया -

डॉ सिंह ने अवगत कराया कि पूर्व वर्षो में अनेक ऑडिट आपत्तियाँ रहीं है । कार्यालय द्वारा आडिट आपत्तियों का शत प्रतिशत निराकरण किया जा रहा है । चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा प्रस्तुत इस प्रतिवेदन में अंतरशाखा समाधान के अंतर्गत पंजीयन खाते में रू. 3587374.13 का अंतर पूर्व वर्षो से चला आ रहा है, जिसका विवरण उपलब्ध नहीं है।

-श्रीमती बेला गंगराडे के रू. 723.00 देनदारी है। इसी प्रकार श्री मदन सिंह से दौरा अग्रिम राशि रू. 40097.98 राशि वसूली होना है । स्थाई सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन एवं रजिस्टर में दर्ज की व्यवस्था सही नहीं है। विविध लेनदार वर्ष 2001-02 से राशि रू. 68285.82 का वर्गीकरण एवं स्पष्टीकरण नहीं है। कुछ अन्य आपत्तियॉ है जिनके निराकरण के प्रयास किये जा रहे हैं।

राज्य मुख्य आयुक्त ने उपरोक्त आपत्तियों के निराकरण हेतु समय सीमा चाही।

राज्य कोषाध्यक्ष ने उपरोक्त कार्यवाही हेतु 03 माह का समय चाहा जिस पर राज्य मुख्य आयुक्त ने अपनी सहमति व्यक्त की।

निर्णय :- **03 माह में नियमानुसार आपत्तियों का निराकरण करें।**

कार्यवाही- लेखाधिकारी / राज्यप्रशिक्षण आयुक्त-स्काउट

बिन्दु क्र.. 05 :- वार्षिक कार्यक्रम एवं वार्षिक योजना वर्ष 2016-17

श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर, राज्य संगठन आयुक्त-गाइड द्वारा वर्ष 2016-17 का प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम सदन के समक्ष पावर पाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किये । वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुये राज्य संगठन आयुक्त-गाइड ने अवगत कराया कि वार्षिक योजना के अनुसार वार्षिक कार्यक्रम बनाये गये है एवं निर्धारित लक्ष्यों को इन कार्यक्रमों के माध्यम से पूर्ण किये जावेंगे । वार्षिक योजना एवं वार्षिक कार्यक्रम सदस्यों को फाईल में भी अवलोकनार्थ रखा गया है ।

श्रीमती अनिता जी ने कहा राज्य स्तर पर युवाओं के लिये 65 कार्यक्रम एवं वयस्क प्रशिक्षण में दक्षता हेतु 16 कार्यक्रम दिये गये हैं इन्हीं कार्यक्रमों को विकेन्द्रित करने हेतु संभाग स्तर पर 11 कार्यक्रमों में विभाजित किये गये है। इस वर्ष कबिंग के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भारत में मोगली लेंड, सिवनी म.प्र. जो कबिंग की पृष्ठ भूमि है में कबिंग शताब्दी उत्सव मनाया जावेगा।कार्यक्रम को जिला, ब्लाक और ग्रुप स्तर तक विभाजित करते हुए प्रत्येक स्तर पर युवाओं को कार्यक्रम में सम्मिलित होने के अवसर दिये गये हैं।

श्री काजी एच.सिद्धिकी, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त-स्काउट ने प्रस्तावित वार्षिक योजना 2016-17 की जानकारी सदन में प्रस्तुत की।

श्री सिद्धिकी ने अवगत कराया कि वार्षिक योजना 2016-17 में युवा कार्यक्रम, वयस्क प्रशिक्षण, संख्यात्मक विकास, संसाधन विकास (वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन) प्रबंध प्रणाली विकास, जनसंपर्क एवं प्रचार-प्रसार को प्राथमिकता के आधार पर समावेश किया गया है। तथा हमारा पूर्ण प्रयास है कि दलों की संख्या में वृद्धि हो।

वित्तिय संसाधन विषय पर चर्चा करते हुए श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने जानना चाहा कि क्या जिला स्तर पर सी.ए. से ऑडिट कराया जा सकता है। इस पर राज्य सचिव ने प्रोविजन होने की जानकारी दी। श्री रमेश शर्मा ने इसे अनिवार्य करने का सुझाव दिया। राज्य कोषाध्यक्ष ने कहा कि जिला मुख्य आयुक्त पद पर जिला शिक्षा अधिकारी पदस्थ है वह सी.ए. ऑडिट हेतु स्वतंत्र है।

राज्य मुख्य आयुक्त ने इस पर विचार करने की आवश्यकता व्यक्त की।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने कहा कि बहुत से जिला शिक्षा अधिकारियों को स्काउटिंग/ गाइडिंग की जानकारी नहीं है अथवा अल्प है इस हेतु एक सेमिनार कर उन्हें अनिवार्य जानकारी प्रदान की जाना चाहिये । साथ ही श्री शर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला कमिश्नर को जिला मुख्य आयुक्त पद पर मनोनयन हेतु अपनी आपत्ति व्यक्त की। श्री भंवर शर्मा ने भी इसी प्रकार की आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि जिला मुख्य आयुक्त पद जन प्रतिनिधि का होता है जो निर्वाचन द्वारा चुना जाता है अतः राज्य मुख्यालय द्वारा लिये गये इस निर्णय पर पुर्न विचार किया जाना चाहिए। राज्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि जिला मुख्य आयुक्त पद पर जिला शिक्षा अधिकारी का मनोनयन नियमानुसार है इसके लिये नियमानुसार माननीय राज्य मुख्य आयुक्त को यह अधिकार भी प्राप्त है। श्री आर के तिवारी ने राज्य सचिव से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि उनके जिले सतना में बहुत अव्यवस्थायें रही। इन परिस्थितियों में यह निर्णय उचित

है। श्री भंवर शर्मा ने कहा कि माननीय राज्य मुख्य आयुक्त को सर्वाधिकार सुरक्षित है परन्तु मैं पूरे प्रदेश में व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए निवेदन कर रहा हूँ माननीय राज्य मुख्य आयुक्त विवेक से जिसका चाहे योग्यतानुसार चयन कर सकते हैं मेरा अनुरोध है कि इस आंदोलन का राजनीतिकरण न हो।

श्री रमेश शर्मा व श्री भंवर शर्मा ने इस संस्था के समस्त नियमित अधिकारी–कर्मचारी हेतु छटवॉ वेतनमान स्वीकृत करने व संविदा पर पदस्थ जिला संगठन आयुक्त को नियमित करने का अनुरोध किया।

राज्य मुख्य आयुक्त ने कहा कि मेरी इच्छा है कि इस पवित्र संस्था का राजनीतिकरण न हो। उज्जैन में भूमि पर भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है प्रदेश में जितनी भी भूमि है सभी जगह स्काउट भवन हो यह मेरा लक्ष्य है अतः हमारे पास आलोचना का कोई समय ही नहीं है अच्छे व संस्था हित में कार्य का व सुझाव का सदैव स्वागत है तथा विचार किया जावेगा। आपके द्वारा कहे गये अन्य बिंदुओं पर भी वित्तिय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जा रहा है। संस्था के नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छटवॉ वेतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु पूर्ण प्रस्ताव शासन को भेजा जाय।

राज्य सचिव ने राज्य मुख्यालय द्वारा प्रस्तावित वार्षिक योजना एवं कार्यक्रम पर सदन से अनुमोदन चाहा गया।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा एवं अन्य सदस्यों से कार्यक्रमों एवं प्रस्तावित वार्षिक योजना से सहमति प्रदान की ।

राज्य मुख्य आयुक्त ने नियमानुसार कार्य करने के निर्देश देते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान की।

निर्णय :– सदन ने समस्त प्रस्तावित कार्यक्रमों एवं वार्षिक योजना को स्वीकृति प्रदान की।

कार्यवाही– एस.ओ.सी.(एस/जी)/एस.टी.सी.(एस/जी)/लेखाधिकारी

बिन्दु क्र. 06 एवं 07 :– वास्तविक आय व्यय वर्ष 2015–16 एवं प्रस्तावित पुनरीक्षित बजट वर्ष 2016–17 पर चर्चा ।

डॉ बलवान सिंह, राज्य कोषाध्यक्ष ने संस्था का वास्तविक आय–व्यय 2015–16 एवं प्रस्तावित आय–व्यय 2016 प्रस्तुत किया –

डॉ सिंह ने सदन में बजट प्रस्तुत करते हुए सदस्यों को अवगत कराया कि सदन के माननीय सदस्यों को बजट की प्रति उपलब्ध करवाई गई है । वित्तीय वर्ष 2014–15 का वास्तविक आय एवं व्यय का विवरण अक्टूबर–2015 में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में अनुमोदित हो चुका है किन्तु बैठक का कार्यवाही विवरण उपलब्ध नही होने से पुनः प्रस्तुत है ।वित्त वर्ष 2014–15 में 301.06 लाख वास्तविक आय प्राप्त हुई । जिसके विरुद्ध 374.57 लाख व्यय हुआ । आय पर अधिक व्यय रुपये 73.51 लाख अन्य शाखाओं से ऋण स्वरुप राशि प्राप्त कर पूर्ति की गई । वित्त वर्ष 2015–16 के समग्र बजट में रू. 581.80 लाख आय का प्रावधान करते हुए रू.577.35 लाख व्यय का अनुमान लगाया गया था। जिसके विरुद्ध वर्ष में वास्तविक आय रू. 304.52 लाख एवं व्यय रू. 307.22 लाख हुए जो अन्य शाखाओं से ऋण लेकर पूर्ति की गई ।

वित्त वर्ष 2016–17 में समग्र बजट में रू. 632.50 लाख आय एवं रू. 637.00 लाख व्यय का प्रावधान पूर्व कार्यकारिणी द्वारा किया गया था। लेकिन कर्मचारियों के लम्बित स्तत्वों एवं परियोजना की राशि को शामिल नही किया गया अतएव बजट संशोधन करते हुए पूर्व वर्षो की लंबित कर्मचारियों की देनदारी को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित बजट में रू. 1270.92 लाख आय एवं रू. 1394.70 लाख व्यय वर्तमान वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित कर वित्त समिति की अनुशंसा पश्चात् अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है इस वर्ष के बजट के संबंध में निम्न बिन्दु विशेष उल्लेखनीय है :–

1. वित्त वर्ष 2014–15 से पोषण अनुदान के अन्तर्गत स्वीकृत राशि का नियत्रंण आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा किया जा रहा है।
2. मध्यप्रदेश शासन शिक्षा विभाग के द्वारा स्काउट–गाइड निधि की कक्षा 9 से 12 वी तक की गत तीन वर्षो से संकलित राशि जो शिक्षा अधिकारियों के पास उपलब्ध है । उसे शासन द्वारा भेजने पर प्रतिबंध लगाया गया था। शासन ने प्रतिबंध हटाते हुए राशि राज्य मुख्यालय को भेजने के आदेश जारी कर दिये है। पंजीयन राशि प्राप्त होने पर पूर्व वर्ष की राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली की बकाया भेजी जायेगी।
3. निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कक्षा 01 से 08 तक छात्र/छात्राओं से कोई स्काउट–गाइड निधि शुल्क संकलित नही किए जाने का शासन का निर्णय है, परन्तु राष्ट्रीय मुख्यालय के द्वारा समस्त स्काउट–गाइड के दल संचालन के आधार पर स्काउट–गाइड निधि की मांग की

जाती है । वर्ष 2014–15 सें निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत स्काउट/गाइड शुल्क की प्रतिपुर्ति राशि राज्य शिक्षा केन्द्र के द्वारा राज्य मुख्यालय भोपाल को उपलब्ध नही कराई गई, न ही परियोजना के अधीन राशि उपलब्ध कराई गई।

4. इसी प्रकार यूनिसेफ/आदिवासी विकास/अनुसूचित विकास द्वारा भी प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार राशि उपलब्ध नही कराई गई ।

5. वर्ष 2016–17 मे राज्य शिक्षा केन्द्र, आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास एवं राष्ट्रीय शिक्षा अभियान को प्रस्ताव भेजे गये ।

उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए 2016–17 का पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें भारत स्काउट एवं गाइड की गतिविधियों को निर्धारित कलेण्डर के अनुसार संचालित कर उत्तरोतर प्रगति की ओर अग्रसर होकर उच्च सौपन की सफलता प्राप्त करने हेतु कृत संकल्प है ।

राज्य कोषाध्यक्ष ने राज्य आयुक्त–गाइड से भी राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर से संस्था द्वारा भेजे गये प्रस्ताव स्वीकृत करवाने में सहयोग का अनुरोध करते हुए कहा कि उपरोक्त प्रस्तुत वर्ष 2015–16 का वास्तविक आय–व्यय एवं वर्ष 2016–17 का पुनरीक्षित बजट की राज्य वित समिति द्वारा अनुशंसा की जा चुकी है कृपया राज्य कार्यकारिणी द्वारा अवलोकन कर अनुमोदित किए जाने हेतु प्रस्तुत है।

सदन में उपस्थित माननीय सदस्य द्वारा श्री राजीव जैन द्वारा सी.एस.आर. का सुझाव दिया गया।

श्री डी.एस.कुशवाह ने कहा कि संस्था को पंजीयन राशि कम प्राप्त होने का कारण दलों की कम संख्या है। संस्था में दल की गतिविधि बढ़ना चाहिये।संस्था के एक्शन प्लान में जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय अधिकारियों के विचारों/सुझावों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

राज्य मुख्य आयुक्त ने सुझावों से सहमति व्यक्त की।

राज्य कोषाध्यक्ष ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया जावेगा तथा स्कूलों में दल गठन में वृद्धि भी की जावेगी।

सदस्य में से कहा गया कि जो नये हाईस्कूल बने है उनमें वित्तिय समस्या आती है हम शिक्षकों को प्रशिक्षित नहीं कर पाते हैं अनेक स्कूलों में छात्र संख्या कम है तथा वित्तिय समस्या के कारण स्काउटिंग गतिविधियाँ नहीं हो पाती है।

राज्य कोषाध्यक्ष ने कहा इस विषय पर चर्चा कर निर्णय अवश्य लिया जावेगा।

श्री आर के तिवारी ने कहा कि राज्य मुख्यालय द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका "बालचर रवि" की सदस्यता हेतु प्राप्त राशि अनेक जिला संघों/जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में जमा है जो राज्य मुख्यालय को प्राप्त न होने से सदस्यों को पत्रिका प्राप्त नहीं होती है एवं सदस्यता प्रभावित होने के साथ राज्य मुख्यालय में वित्तिय समस्या का निराकरण नहीं होता है।

राज्य मुख्य आयुक्त ने पत्रिका एवं पंजीयन की लंबित राशि जिलों से अतिशीघ्र मंगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

चर्चा पश्चात् श्री रमेश चन्द्र शर्मा, श्री डी.एस. कुशवाह ने वर्ष 2015–16 का वास्तविक आय–व्यय एवं वर्ष 2016–17 का पुनरीक्षित बजट सदन में मान्य करने हेतु अपनी सहमति दी जिस पर सभी सदस्यों ने नियमानुसार कार्य करने का सुझाव देते हुए अनुमोदन प्रदान किया।

निर्णय : सदन ने सर्वसम्मति से वर्ष 2015–16 का वास्तविक आय–व्यय तथा सत्र 2016–17 का पुनरीक्षित बजट हर्षध्वनि से पारित किया।

कार्यवाहीः लेखाधिकारी

<u>बिन्दु क्र.–08 – संस्था को प्राप्त साधारण/आजीवन सदस्यों की सदस्यताः</u>– राज्य सचिव द्वारा संस्था के आजीवन /साधारण सदस्यता हेतु प्राप्त आवेदनों के संबंध में अवगत कराया कि संस्था की आजीवन सदस्यता हेतु 04 एवं साधारण सदस्यता हेतु 04 कुल 08 आवेदन इस कार्यालय को प्राप्त हुये है जो निम्नानुसार है :–

क्र.	<u>आवेदक नाम.</u>	<u>निवास</u>	<u>सदस्यता प्रकार</u>
1	श्री उमाशंकर गुप्ता,	45 बंगले, भोपाल,	साधारण
2	श्री आर.डी.सोलंकी	जी 9/21, साउथ टी.टी.नगर भोपाल	आजीवन
3	श्री रवि प्रकाश गोयल,	ई–7 एल.आई.जी. बी–213, अरेरा कालोनी भोपाल	आजीवन
4	श्री के.पी.एस.तोमर	एफ–49/6, साउथ टी.टी.नगर भोपाल	साधारण
5	श्री अंशुज शर्मा,	आनंद भवन विदिशा	आजीवन
6	सुश्री शीला दाहिमा,	भारती निकेतन, एम–24 ए, गोविन्दपुरा, भोपाल।	साधारण
7	श्री के.के.द्विवेदी,	एफ–115/7, शिवाजी नगर, भोपाल	साधारण
8	श्री राजीव जैन	ई.के. 9/4, चार इमली, भोपाल	आजीवन

श्री प्रकाश चित्तौड़ा ने कहा कि मेरा सुझाव है कि कार्यकारिणी के सभी सदस्य अपने स्तर पर कम से कम 5 सदस्य को संस्था से जोड़े। राज्य मुख्य आयुक्त ने भी सहमति प्रकट करते हुए नये सदस्यों को संस्था से जोड़ने हेतु कार्यकारिणी सदस्य से अनुरोध किया।

उपस्थित सदस्यों ने नवीन आजीवन तथा साधारण सदस्यों को सूची में शामिल करने हेतु सहमति प्रदान करते हुये सदस्यों की सूची को अनुमोदित किया।

निर्णय :– आजीवन सदस्यता/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की गई।

कार्यवाही – कार्यालय अधीक्षक

बिन्दु क्र. 09 कार्यालयीन प्रस्ताव :–

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री प्रकाश दिसोरिया, राज्य सचिव द्वारा निम्नलिखित कार्यालयीन प्रस्ताव सदन में माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु रखे गयें।

(1) समाप्त किये गये संभागीय कार्यालयों को पुनः प्रारंभ करने बाबतः राज्य कार्यकारिणी की बैठक में संभागीय कार्यालय भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. नर्मदा पुरम (होशंगाबाद) एवं संभागीय कार्यालय भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. चम्बल पुनसंचालित करने हेतु राज्य सचिव द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक फा.45.10.79.आई–9–बीस, भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 1980 द्वारा स्वीकृत रचनाक्रम के अनुसार राज्य मे संभाग स्तर पर दस संभागीय कार्यालय संचालित थे । पूर्व के मेनेजमेंट द्वारा राज्य कारिणी बैठक दिनांक 29..12.2014 को प्रस्ताव पारित कर नर्मदापुरम संभाग एवं चम्बल संभाग के संभागीय कार्यालय बंद करने का निर्णय लिया गया था। उपरोक्त राज्य कार्यकारिणी के निर्णयानुसार राज्य मुख्यालय भोपाल के आदेश. क्रमांक 1802 भोपाल, दिनांक 29.04. 2015 द्वारा संभागीय कार्यालय भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. नर्मदापुरम (होशंगाबाद) को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था। राज्य मुख्यालय भोपाल के आदेश क्रमांक –299–300/रा.मु./स्था./2015 भोपाल, दिनांक 21.01.2015 द्वारा संभागीय कार्यालय भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. चम्बल संभाग (मुरैना) को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया । जबकि शिक्षा विभाग में दोनो संभाग में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण यथावत कार्य कर रहें है। स्काउट/गाइड शिक्षा विभाग की नीतियों के अंतर्गत कार्य कर रहा है दोनो संभागों के संभागीय कार्यालय बद होने के कारण होने वाली कठिनाईयों के संबंध में एवं संभागीय कार्यालय पुनः प्रारंभ किये जाने हेतु संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नर्मदापुरम होशंगाबाद एवं मुरैना संभाग के सभी जिलों से निरंतर मांग की जा रही है । दोनो संभागीय कार्यालय पुनः संचालित होते हैं तो उस संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में स्काउटिंग/गाइडिंग की गतिविधियां संचालित करने में सुविधा होगी एवं गुणात्मक प्रगति हो सकेगी ।

सदन में चर्चा पश्चात् सभी सदस्यों ने प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की

निर्णयः सदस्यों की सहमति पश्चात् चर्चा कर माननीय राज्य मुख्य आयुक्त ने नर्मदापुरम (होशंगाबाद), मुरैना संभागों को पुनः सचालित करने हेतु स्वीकृति एवं सहमति प्रदान की ।

कार्यवाही :– राज्य सचिव ।

(2) प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों से स्काउट निधि का 80 प्रतिशत अंशदान राज्य मुख्यालय को भेजने बाबतः मध्यप्रदेश शासन का पत्र क्रमाक/प्र.स./स्कूल शिक्षा/आर.टी.इ./2010/84–85/भोपाल दिनांक 10/03/2010 के द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कक्षा 01 से 08 वी तक शुल्क नहीं लिया जाने के आदेश जारी किया गये थे । जिस कारण से प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में वर्ष 2010–2011 में कक्षा 01 से 08 तक का शुल्क प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में लेना बन्द कर दिया गया है । इसके पूर्व वर्षो की राशि प्रत्येक शालाओं में लम्बित है । शासकीय/अशासकीय विद्यालयों द्वारा इस राशि का उपयोग स्काउट की गतिविधियों में न करते हुए अन्य मदों में किया जा रहा है । जिससे इस राशि के दुरूपयोग की संभावना है। यदि स्काउट निधि की 80 प्रतिशत अंशदान राज्य मुख्यालय भोपाल को प्राप्त होता है तो इस राशि को सुनियोजित तरीके से स्काउट एवं गाइड की गतिविधियों एवं प्रशिक्षण केन्दों के विकास के लिए उपयोग किया जा सकेगा ।

निर्णयः संस्था हित तथा राशि के सही उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई ।

कार्यवाही :– पंजीयन कक्ष प्रभारी

(3) वयस्क कोटामनी एवं संबद्धता शुल्क में वृद्धि बाबतः संचालक भारत स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली का पत्र क्रमाक/34/2015/दिनांक/28/03/2015 के द्वारा अवगत कराया गया है कि वयस्क प्रशिक्षण (कोटामनी) 12.00 रूपये के स्थान पर 50.00 लिये जाने के निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक दिनांक 30.11.2014 में लिया गया है । जिसे वर्ष 2016–2017 से लागू किया गया है।

(अ) वयस्क कोटामनी –

क्रमाक	विभाग	वर्तमान शुल्क (राष्ट्रीय मुख्यालय) प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष	पुनरीक्षित शुल्क (राष्ट्रीय मुख्यालय) प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष
01	यूनिट लीडर/वालिन्टियर कमिश्नर	12.00	50.00
02	संबद्धता शुल्क प्रति जिला	250.00	1000.00

वर्तमान में राज्य की वयस्क कोटामनी राशि रूपये 15.00 ली जा रही है। भारत स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा वयस्क कोटामनी राशि 12.00 रू. प्रति व्यक्ति में वृद्धि करते हुए राशि 50 प्रति व्यक्ति की है। **इसलिए वयस्क कोटमनी राशि एन.एच.क्यू नई दिल्ली की राशि 50.00 एवं राज्य मुख्यालय वयस्क कोटमनी राशि रूपये 20.00 करते हुए कुल राशि (राष्ट्रीय मुख्यालय रू. 50 + राज्य मुख्यालय रू. 20) रूपये 70.00 माह अप्रैल 2016 से लागू किया जाना प्रस्तावित है ।**

(ब) संबद्धता शुल्क –

राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा संवद्धता शुल्क (एफिलिएशन) राशि 250.00 के स्थान पर वृद्धि कर 1000.00 की गई है । पूर्व राज्य मुख्यालय द्वारा जिला संघ से संवद्धता शुल्क 300.00 लिया जाता था । **वर्तमान में निर्वाचन अवधि 05 वर्ष की हो गई है, अतः पांच वर्ष की सबद्धता शुल्क 1500.00 ली जाना प्रस्तावित है । जिसे 01 अप्रैल 2016 से लागू किया जाना प्रस्तावित है ।**

निर्णयः सदस्यों ने सहमति प्रदान की। कार्यवाही :- पंजीयन कक्ष प्रभारी

(4) मासिक पत्रिका "बालचर रवि" की वार्षिक व आजीवन शुल्क वृद्धि बाबतः राज्य सचिव ने अवगत कराया कि पत्रिका बालचर रवि वर्ष 2003 से प्रकाशित की जा रही है । सितंबर 2007 के पश्चात् इसकी दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। विगत वर्षो में सभी आवश्यक सामग्री की दरों में वृद्धि हुई है तथा पत्रिका के कलेवर एवं सामग्री तथा गुणवत्ता में भी निखार आया है। जबकि वर्तमान में इसकी एक प्रति मुद्रित होने की दर रू. 12 तथा पोस्टेज चार्ज 0.50 रू. सहित 12.50/- है। अन्य व्यय जोड़ने पर संस्था को पत्रिका प्रकाशन पर नुकसान हो रहा है। इसकी दर में वृद्धि करना प्रस्तावित है। संस्था के राज्य मुख्यालय, भोपाल से स्काउट-गाइड की मासिक पत्रिका "बालचर रवि" के मूल्य सम्बन्धी जानकारी इस प्रकार है-

क्र	सितंबर 2007 ये लागू दर वर्तमान दिनांक तक (रू.)	अगस्त-16 से प्रस्तावित दर (रू.)
एक पत्रिका	15/-	20/-
वर्षिक दर (12)	150/-	200/-
आजीवन (10 वर्ष)	1500/-	2000/-

श्री भंवर शर्मा व अन्य सदस्यों ने पत्रिका के मूल्य वृद्धि से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रिका में प्रकाशन हेतु शासकीय कार्यालयों से विज्ञापन प्राप्ति का प्रयास किया जावे।

निर्णयः मा. राज्य मुख्य आयुक्त ने पत्रिका की दर में वृद्धि हेतु सदन के साथ सहमति व्यक्त करते हुए विज्ञापन प्राप्ति हेतु प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये।

कार्यवाही :- पत्रिका कक्ष प्रभारी

(5) संविदा कर्मचारियों के वेतन से एवं संस्था से 12% ई.पी.एफ./सी.पी.एफ. कटोत्रा संबंधी : संस्था में लगभग 40 संविदा कर्मचारी कार्यरत् है जिसमें से कुछ कर्मचारियों की अवधि 10 से 15 वर्ष के बीच तथा कुछ कर्मचारियों की अवधि 5 से 8 वर्ष तथा कुछ कर्मचारियों की 2 से 05 वर्ष हुए है। यदि संस्था के लगभग 40 कर्मचारियों का माह अप्रैल-16 से 12 प्रतिशत पी.एफ.कटौत्रा किया जाता है तो मासिक व्यय 37,680/- रू. एंवं वार्षिक व्ययभार 4,52,160/- आएगा जिसे संस्था के द्वारा वहन किया जाना होगा ।

संविदा कर्मचारियों के ई.पी.एफ./सी.पी.एफ. कट्रोत्रा के संबंध में नियम है कि जिस संस्था में 20 से अधिक संविदा कर्मचारी कार्यरत् है वह 12 प्रतिशत ई.पी.एफ./ सी.पी.एफ. कट्रोत्रा तथा 20 से कम कर्मचारी कार्यरत् है वहां पर 10 प्रतिशत कटौत्रा किये जाने का ई.पी.एफ. विभाग का नियम भी है। अतः संस्था के संविदा कर्मचारियों के वेतन से 12 प्रतिशत ई.पी.एफ./ सी.पी.एफ. काटकर उतनी ही राशि संस्था द्वारा मिलाकर सम्बन्धित के ई.पी.एफ./ सी.पी.एफ. खाते में जमा करवाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सदन में चर्चा पश्चात प्रस्ताव स्वीकार किया।

निर्णयः मा. आगामी माह से प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही की जावे।

कार्यवाही :- लेखाधिकारी

(6) नियमित कर्मचारियों के वेतन से 12 प्रतिशत सी.पी.एफ कटौत्रा संबंधी : दिनांक 24 फरवरी 2012 की राज्य कार्यकारणी के उक्त बिन्दु क्रमांक 08 में 12 प्रतिशत सी.पी.एफ. कटोत्रा किये जाने हेतु विचार किया गया । इस हेतु एक समिति गठित की गई थी, लेकिन उक्त संबंध में कोई कार्यवाही नही की गई है । सी.पी.एफ. कटोत्रे के संबंध में पूर्व कार्यकारणी 13.10.1990 के मिनिट्स साथ में संलग्न है । इसी प्रकार मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भारत स्काउट/गाइड एसोसिएशन पुनरीक्षित सहायता अनुदान नियम 1980 अनुमोदित किया गया है। जिसमें ज्ञापन क्रमांक/एक/5/10/79/आई/9/बीस दि0274/03/1981के अनुसार मध्यप्रदेश स्काउट/गाइड के कर्मचारियों को वेतन भत्ते हेतु वही नियम लागु होगे जो मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारियों को लागू होते है।

यदि नियमित कर्मचारियों का 12 प्रतिशत कट्रोत्रा किया जाता है तो इसमें वार्षिक व्यय भारत राशि रू. 01 लाख होने की संभावना होगी। वर्तमान में जो कट्रौत्रा किया जा रहा है उस पर 3,34,932/- रू वार्षिक व्ययभार आ रहा है

7

और यदि 12 प्रतिशत कटौती की जाती है तो संस्था पर वार्षिक व्ययभार 4,34,932/- आएगा। अतः मई 16 के जून-16 में देय कर्मचारियों/अधिकारियो के वेतन से 12 प्रतिशत सी.पी.एफ. राशि कटौत्रा प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने कहा कि कर्मचारी हितों का ध्यान रखा जाना चाहिये । शासकीय नियम भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. पर भी लागू होते। उक्त प्रस्ताव मान्य किया जाना चाहिए । श्री भंवर शर्मा ने भी प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की।

निर्णयः आगामी माह से प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही की जावे।

कार्यवाही :- लेखाधिकारी

(7) संस्था में रिक्त पदों की पूर्ति बाबत : भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. में नियमितिकरण वर्षो से लंवित है। वर्तमान में 28 पद रिक्त है। कर्मचारियों के दिवंगत व सेवानिवृत्त होने से संस्था में लगातार संगठन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी होती जा रही है। कार्यालयीन व्यवस्था एवं गतिविधि के संचालन हेतु वर्षो से संस्था में संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे है।

अतः रिक्त पदो पर संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण किया जाना प्रस्तावित है।

श्री आर के तिवारी ने कहा कि संस्था में वर्षो से रिक्त पद होने से कार्य भी प्रभावित होता है संविदा कर्मचारियों के नियमित होने से कार्य व्यवस्थित रूप से हो सकेगा। अन्य सदस्यों ने भी इनका समर्थन किया।

निर्णयः नियमानुसार रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही की जावे।

कार्यवाही :- राज्य सचिव

(8) प्रचलित उप नियमों में राज्यस्तरीय नीति अनुरूप आवश्यक संशोधन बाबत : राज्य मुख्यालय भारत स्काउट एव गाइड म.प्र. द्वारा विगत वर्षो में राज्य, जिला एवं स्थानीय संघ के उपनियम में आवश्यक संशोधन किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय परिषद बैठक नवंबर 2014 में पुनः रूल्सबुक में आवश्यक संशोधन किये गये है। जिसके कारण उक्त स्तर के उपनियमों में संशोधन किया जाना आवश्यक है। साथ ही राज्य स्तरीय नीति के अनुरूप संशोधन किया जाना है। जैसे- 1--जिला मुख्य आयुक्त के निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन होना हैं। 2- जिला शिक्षा अधिकारी को वित्तिय व प्रशासनिक नियंत्रण होने के कारण जिला मुख्य आयुक्त बनाया जाना।3- युवा उप समिति नवीन समिति का गठन होना।

अतः प्रचलित उप नियम को खारिज करते हुए नवीन राज्य, जिला व स्थानिय संघ के उप नियम संशोधित कर प्रचलित किया जाना प्रस्तावित है।

सदन में चर्चा पश्चात् सदस्यों ने अपनी सहमति प्रदान की।

निर्णयः संशोधन नियमानुसार समिति बना कर किये जावे जिसमें 1 राज्य आयुक्त-स्काउट 2. राज्य आयुक्त-गाइड / शासकीय अधिकारी होगें 3. राज्य सचिव ।

कार्यवाही :- राज्य सचिव

(9) विकास शुल्क में वृद्धि बाबत : वर्तमान में राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार के होने वाले शिविरों में विकास शुल्क 50.00 रूपये एवं विशेष शुल्क 50.00 रूपये प्रति व्यक्ति लिये जाने का प्रावधान है।वर्तमान में प्रशिक्षण केन्द्रो के मूलभुत भौतिक विकास हेतु राशि की आवश्यकता है। अतः विकास शुल्क में वृद्धि कर 100.00 रूपये प्रतिव्यक्ति की जाना प्रस्तावित है। यह राशि प्रशिक्षण केन्द्रो के विकास पर व्यय की जावेगी। अतः विकास शुल्क 50.00 रूपये प्रतिव्यक्ति के स्थान पर 100.00 रूपये प्रतिव्यक्ति की जाना प्रस्तावित है।

प्रशिक्षण केन्द्रों के विकास पर सदन में चर्चा पश्चात् श्री एच. सिद्धिकी, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त से सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की । आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विकास शुल्क में वृद्धि पर सहमति प्रदान की गई।

निर्णयः नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

कार्यवाही :- राज्य प्रशिक्षण आयुक्त-स्काउट

(10) प्रशिक्षण केन्द्रो में वार्डन की संविदा नियुक्ति बाबत : प्रशिक्षण भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. में प्रशिक्षण व गतिविधि संचालन हेतु 08 प्रशिक्षण केन्द्र है। उनकी देखरेख, प्रबंधन व भौतिक व्यवस्था हेतु मात्र भृत्य कार्यरत है। कही-कही भृत्य भी नही है। जिसके कारण प्रशिक्षण केन्द्रो पर निरंतर अतिक्रमण हो रहा है एवं उचित प्रवंधन के अभाव में रखरखाव व मूलभुत भौतिक सुविधाओ का क्षरण हो रहा है। जिसके कारण प्रशिक्षण शिविर एवं गतिविधियां संचालित करने में कठिनाई हो रही है। अतः 08 प्रशिक्षण केन्द्रो पर 08 वार्डन की नियुक्ति की जाना प्रस्तावित है। जिनकी योग्यता न्यूनतम ग्रेजुएट एवं राष्ट्रपति स्काउट/ हिमालय वुड बैज प्रस्तावित है एवं इनका वेतन मान संविदा जिला संगठक के अनुरूप होगा। अतः 08 वार्डन की नियुक्ति की जाना प्रस्तावित है।

निर्धारित योग्यता पर सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वेतन पर चर्चा की गई।

निर्णयः जिंलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों में जो न्यूनमत दर हो उस दर का वेतन पर नियमानुसार संविदा नियुक्ती प्रदान की जावे।

कार्यवाही :- राज्य सचिव

(11) <u>रचनाक्रम को पुनरीक्षित करना</u> : भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. का रचना क्रम ज्ञापन क्र. 45/10/75/आई 5/20 भोपाल दिनांक 24.10.80, मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था। जिसको लगभग 36 वर्ष व्यतीत हो गये है इस बीच नये जिले/संभागो का गठन होने एवं भारत स्काउट एवं गाइड के प्रशिक्षण एवं कार्यक्रमों में हुए परिवर्तन, संशोधन की दृष्टि से एवं कार्यवृद्धि होने से सुचारू संचालन हेतु रचना क्रम को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है।

अतः रचना क्रम पुनरीक्षित करने हेतु समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

सदस्यों ने प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए समिति बनाने हेतु माननीय राज्य मुख्य आयुक्त को अधिकृत किया।

<u>निर्णयः</u> समिति में 1. राज्य आयुक्त-स्काउट 2. राज्य सचिव 3 डी.पी.आई/प्रतिनिधि (श्री आलोक खरे) 4. श्री रमेश चन्द्र शर्मा की चार सदस्यीय समिति गठित की जाती है।

कार्यवाही :- राज्य सचिव

<u>बिन्दु क्र. 10 पदाधिकारियों का मनोनयन एवं समितियों की घोषणा :-</u>

राज्य सचिव ने माननीय राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा मनोनीत पदाधिकारियों एवं गठित समितियों की जानकारी से सदन को अवगत कराया।

अ-राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा निम्न पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया-

<u>क्र0</u>	<u>पद</u>	<u>मनोनीत पदाधिकारी का नाम</u>	<u>पता</u>
1	राज्य आयुक्त (स्काउट)-श्री डी0एस0राघव,		एलआईजी 85 हर्षवर्धननगर भोपाल
2	राज्य आयुक्त (गाइड)-सुश्री शीला दाहिमा,		अपर मिशन संचालक रा0शि0के0 भोपाल
3	सलाहकार(रा0मु0आ0)-श्री एम0एस0राठौर,		सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक लो0शि0
4	सहा0राज्य आयुक्त (स्का0)- (1)श्री प्रकाश चित्तौड़ा, जिला उज्जैन (2) श्री चंद्रप्रकाश शिवहरे, सहायक राज्य आयुक्त-स्काउट (3) श्री रमेशचन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति(4) श्री राजीव जैन, चार इमली भोपाल (5)श्री के0के0 द्विवेदी, उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।		
5	सहा0राज्य आयुक्त (गा0)-(1) श्रीमती डेजीरानी जैन, अरेरा कालोनी भोपाल। (2) सुश्री कामना आचार्य, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण (3)सुश्री गुणमाला जैन,नेमीनगर कालोनी जैन मंदिर दमोह(4) श्रीमती गीता झा, संयुक्त आयुक्त, सहकारिता।		
6	मुख्यालय आयुक्त (स्का0)-(1) श्री डी0एस0कुशवाह, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण (2)श्री के0पी0एस0तोमर, उप संचालक, रा0शि0केन्द्र भोपाल (3) श्री आर0डी0सोलंकी, निज सचिव, मान0मंत्री स्कूल शिक्षा (4)श्री विष्णु राठौर,भोपाल।		
7	मुख्यालय आयुक्त (गा0)-(1)सुश्री उमा भार्गव भोपाल (2) श्रीमती कमलेश शर्मा,ग्वालियर।		
8	जिला मुख्य आयुक्त- 51 जि0शि0अ0/ए0सी0आ0वि, जिला मुख्यालय में।		
9	जिला कमिश्नर (स्काउट)-51 सहायक संचालक/उत्कृष्ट विद्या0के प्राचार्य दोनों में से कोई भी एक जि0 शि0 अधिकारी की अनुशंसा पर, जिला मुख्यालय में ।		
10	जिला कमिश्नर (स्काउट)-51 जि0शि0अधि0कार्या0में पदस्थ सहायक संचालक /उत्कृष्ट विद्या0के प्राचार्य /डाइट प्राचार्य/वरिष्ठ प्राचार्य जिला स्तर पर- इनमें से कोई एक महिला जि0शि0अधि0की अनुशंसा पर जिला मुख्यालय में।		

ब- राज्य संघ की विभिन्न समितियों का गठन इस प्रकार किया गया-

1. <u>राज्य योजना समिति हेतु</u>

<u>क्र.</u>	<u>पद</u>	<u>नाम</u>	<u>समिति में पद</u>
1	राज्य मुख्य आयुक्त	श्री पारसचन्द्र जैन	अध्यक्ष
2	राज्य आयुक्त (स्काउट)	श्री डी0एस0राघव	सदस्य
3	राज्य आयुक्त (गाइड)	श्रीमती शीला दाहिमा	सदस्य
4	राज्य सचिव	श्री प्रकाश दिसोरिया	सदस्य सचिव
5	संयुक्त राज्य सचिव	डॉ0 मुमताॅज जहाॅ खान	सदस्य
6	राज्य संगठन आयुक्त (गाइड)	श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर	सदस्य
7	राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट)	श्री एच0सिद्धिकी	सदस्य
8	राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड)	सुश्री आशा सिंह	सदस्य
9	समस्त जिला मुख्य आयुक्त	जि0शि0अ0/ए0सी0आ0वि0	सदस्य

2. राज्य स्काउट बैज समिति हेतु

क्र.	पद	नाम	समिति में पद
1	राज्य आयुक्त (स्काउट)	श्री डी0एस0राघव	अध्यक्ष
2	लीडर ट्रेनर (स्काउट)	श्री आर0सी0राणा	सदस्य
3	लीडर ट्रेनर (स्काउट)	श्री विशालसिंह भदौरिया	सदस्य
4	राज्य संगठन आयुक्त(स्का0)	श्री प्रकाश दिसोरिया	सदस्य सचिव
5	सहायक राज्य संगठन आयुक्त(स्का0)	श्री प्रमोद गंगराड़े	सदस्य
6	राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट)	श्री एच0सिद्धिकी	सदस्य

3. राज्य गाइड बैज समिति हेतु

क्र.	पद	नाम	समिति में पद
1	राज्य आयुक्त (गाइड)	सुश्री शीला दाहिमा	अध्यक्ष
2	लीडर ट्रेनर (गाइड)	श्रीमती भगवती शर्मा	सदस्य
3	लीडर ट्रेनर (गाइड)	श्रीमती संतोषसिंह	सदस्य
4	राज्य संगठन आयुक्त(स्का0)	श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर	सदस्य सचिव
5	सहायक राज्य संगठन आयुक्त(गाइड)	श्रीमती उषा यादव	सदस्य
6	राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड)	सुश्री आशा सिंह	सदस्य

निर्णयः (अ) एवं (ब)अनुमोदन प्रदान किया गया

कार्यवाही :- राज्य सचिव

बिन्दु क्र. 11 माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्राप्त प्रस्ताव :-

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपस्थित सदस्यों ने अपने प्रस्ताव/सुझाव सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जो इस प्रकार है–

.1 श्री आर आर परमार ने कहा कि संस्था के पूर्व के भर्ती–पदोन्नति नियम में योग्तायें मनमाने तरीके से रखी गई है संस्था के लेखा विभाग में लेखाधिकारी, गणक व सम्बन्धित अन्य पद जो संस्था की वित्तिय स्थिति से सीधा सम्बन्ध रखते है की योग्यताओं को शासन द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुरूप की जाना चाहिये । अन्य पदों की शैक्षणिक योग्यता हेतु भी शासन के समान निर्धारित योग्यता रखी जावे ।

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि सुझाव अनुसार आवश्यक परिवर्तन किये जावेंगे।

मा. राज्य मुख्य आयुक्त ने समिति गठित करने का निर्देश दिया।

निर्णयः **भर्ती–पदोन्नति नियमों के परीक्षण एवं संशोधन हेतु एक समिति बनाई जावे जिसमें राज्य शासन का एक प्रतिनिधि भी हो।**

कार्यवाही :- राज्य सचिव

2. (1) श्री प्रकाश चित्तौड़ा ने राज्य से अनुशंसित राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की जानकारी चाही ।

– राज्य सचिव ने उन्हें जानकारी प्रदान की।

(2) श्री चित्तौड़ा ने प्रदेश के राज्य पुरस्कार/राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर/ को एक मंच पर जानकारी उपलब्ध होने/जोड़ने का सुझाव दिया।

– राज्य सचिव ने कहा कि आपके सुझाव का स्वागत है इस पर कार्य किया जावेगा। राज्य सचिव ने सदन को अटास एवं मैसेंजर ऑफ पीस कार्यक्रम के बारे में तथा आयोजित कार्यक्रम के बारे में भी अवगत कराया।

(3) श्री प्रकाश चित्तौड़ा ने डॉ मुमताज जहॉ, संयुक्त राज्य सचिव के, (डॉ मुमताज के सदन के बाहर जाने पर) एरियर, न्यायालीन प्रकरण की चर्चा करते हुए कहा कि डॉ मुमताज जुलाई–16 में सेवानिवृत्त होने वाली है तथा माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार भी उन्हें स्वत्वों का भुगतान किया जाना उचित होगा। साथ ही संस्था के जो अनुभवी अधिकारी है और यदि संस्था को उनकी सेवाओं की आवश्यकता है तो उनकी सेवाअवधि में वृद्धि का विचार किया जाना चाहिए।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा एवं श्री भंवर शर्मा ने संस्था के अन्य दिवंगतों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को देय लंबित राशि के भुगतान की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया।

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि सभी की जानकारी तैयार की जा चुकी है कुछ सदस्यों को वित्तिय स्थिति अनुसार राशि का भुगतान किया गया है तथा माननीय राज्य मुख्य आयुक्त को अवलोकन एवं जानकारी हेतु नस्ती भेजी जा रही है। संस्था की वित्तिय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही की जा रही है आगामी बजट में भी शासन से अधिक राशि की मांग की गई है।

निर्णयः **मा.राज्य मुख्य आयुक्त ने नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा कि इस हेतु समिति भी गठित की जा सकती है जो सम्बन्धितों के भुगतान हेतु नियमित मॉनिटरिंग करें।**

कार्यवाही :- राज्य सचिव

3 श्री आर के तिवारी ने कहा कि संस्था के नियमित कर्मचारियों को वर्ष 2014 में छह माह तक वेतन प्राप्त न होने पर संस्था के नियमित कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा राज्य सचिव, राज्य मुख्य आयुक्त व प्रबंधन से निरंतर वेतन की मांग की जाती रही एवं शासन स्तर पर भी सम्बन्धितों को निवेदन पत्र/ज्ञापन भेजे गये। कर्मचारियों को भरण–पोषण हेतु प्राप्त अनुदान नहीं मिलने पर, प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के ज्ञापनों को नजरअंदाज करने तथा कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर होने पर संस्था के प्रदेश भर के नियमित कर्मचारियों/अधिकारियों ने संस्था के राज्य मुख्यालय, भोपाल के प्रांगण में माह दिसंबर–2016 के अंतिम सप्ताह में धरना दिया। जिस पर तत्कालीन प्रबंधन ने मानवीयता के स्थान पर कठोरतापूर्वक कार्यवाही करते हुए उपरोक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का 05 दिन का वेतन भी भविष्य में मिलने वाले वेतन से रोक दिया।

साथ ही सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की सर्विस ब्रेक की टिप्पणी उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज करवा दी।

अतएव मेरा प्रस्ताव है कि स्काउट गाइड जैसी पवित्र संस्था में बिना समय की परवाह किये निरंतर सेवा प्रदान करने वाली इस संस्था के कर्मचारियों/अधिकारियों को (1) 05 दिन का रोका गया वेतन अधिकारियों/कर्मचारियों को वापस भुगतान किया जाना चाहिए । (2) सर्विस ब्रेक करने वाला आदेश भी निरस्त करते हुए सर्विस ब्रेक करने की टिप्पणी विलोपित की जाना चाहिए।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने श्री आर के तिवारी के प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन देते हुए सदन से कर्मचारियों के हित में सहयोग की अपेक्षा की जिस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति एवं स्वीकृति प्रदान की। म. राज्य मुख्य आयुक्त ने सभी सदस्यों के साथ अपनी भी सहमति प्रकट की।

निर्णयः **सदन के सदस्यों की भावना के अनुरूप कार्यवाही करते हुए अधिकारियों/कर्मचारियों का 5 दिन का रोका गया वेतन आगामी माह प्रदान किया जावे तथा सेवा अवधि अवरोध (सर्विस ब्रेक) टिप्पणी विलोपित करते हुए जारी किया गया आदेश निरस्त किया जावे।**

कार्यवाही :- राज्य सचिव

4 श्री भवंर शर्मा ने कहा कि माननीय राज्य मुख्य आयुक्त ने सिंहस्थ पर्व के दौरान कार्यक्रमों में स्काउट वर्दी धारण किये रहे जिससे हमको भी गौरव का अनुभव हुआ। इस सिंहस्थ से देश का गौरव बढ़ा है। मेरा सुझाव है कि कर्मचारियों एवं प्रबंधन के बीच समन्वय व संवाद होना चाहिये जिससे सकारात्मक सुझाव प्राप्त होंगे।

श्री शर्मा ने कहा कि संविदा कर्मचारियों के स्थानान्तरण यथा संभव नहीं किये जाने चाहिए।

श्री विनोद मालवीय ने कहा कि संस्था में पूर्व में स्काउट–गाइड फैलोशिप योजना प्रारंभ हुई थी इसे निरंतर जारी रखी जावे।

निर्णयः **माननीय राज्य मुख्य आयुक्त ने स्काउट-गाइड फैलोशिप से सहमति व्यक्त की तथा सदस्य बनाने हेतु सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध किया।**

कार्यवाही :- एस.ओ.सी.-एस/जी

5 डॉ बलवान सिंह ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि श्री डी.एस.राघव, वर्तमान में राज्य आयुक्त–स्काउट एवं तत्कालीन राज्य मुख्य आयुक्त के विरूद्ध संस्था में प्रशासकीय नियमों का उल्लंघन एवं वित्तिय हानि पहुँचाने, कार्यालयीन दस्तावेज नहीं मिलने को लेकर वर्ष 2008 में राज्य कार्यकारिणी द्वारा श्वेत पत्र जारी किया गया था।

श्री सिंह ने अवगत कराया कि श्री राघव जी के विरूद्ध जारी श्वेत पत्र के आधार पर, श्री राघव जी के द्वारा माननीय न्यायालय में जाने पर श्वेत पत्र अमान्य कर दिया गया एवं श्वेतपत्र में जो दस्तावेज कार्यालय में अनुल्पब्ध बताये गये है वह दस्तावेत मुझे कार्यालय में प्राप्त हुए जो मैंने राज्य सचिव को सौंपे है। अतः तत्कालीन प्रबंधन द्वारा जारी श्वेतपत्र को अमान्य किया जाना चाहिए।

श्री भंवर शर्मा एवं श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने उपरोक्त प्रस्ताव से सहमति प्रकट की उनके अनुरोध पर सदन के माननीय सदस्यों ने भी अपनी सहमति प्रदान की।

निर्णयः **श्री डी.एस.राघव के विरूद्ध जारी श्वेत पत्र निरस्त करने का निर्णय लिया गया।**

कार्यवाही :- राज्यसचिव

बिन्दु क्र. 12 अध्यक्षीय उद्बोधन :-

माननीय श्री पारस चंद्र जैन, मंत्री स्कूल शिक्षा म.प्र.शासन एवं राज्य मुख्य आयुक्त भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र. ने राज्य कार्यकारिणी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सभा में उपस्थित सदस्यों की भावना से सहमत हूँ और स्वयं भी चाहता हूँ कि संस्था का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जहाँ भी स्काउट–गाइड संस्था की भूमि/भवन है उनका उचित व संस्था हित में उपयोग होगा जिसकी शुरूआत उज्जैन

से हो चुकी है। राज्य मुख्यालय स्थित भवनों एवं किरायेदारों का माननीय न्यायालय में प्रकरण दर्ज है । इस हेतु राज्य सचिव तीन सदस्यीय समिति बनावे जो भवनों सम्बन्धी न्यायालीन प्रकरणों की मॉनिटरिंग करे उनका निराकरण करें तथा संस्था की जहॉ भी जमीन है वहॉ की उचित व्यवस्था करें। गठित होने वाली समिति तुरंत व कम समय में शीघ्र कार्यवाही करें।

मुझे बैठक दौरान आपके बहुमूल्य सुझाव मिले हैं जिनका स्वागत है। संस्था के कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जावेगा। स्काउटिंग–गाइडिंग मैदानी स्तर भी और अधिक दिखे। संस्था में सभी कार्य नियमानुसार होंगे तथा पूर्व में किये गये कार्य से अच्छे कार्य किये जावेंगे। आप सभी ने बैठक में विशेष सहयोग दिया। धन्यवाद, जय हिंद।

बिन्दु क्र. 13 धन्यवाद :– श्री प्रकाश दिसोरिया, राज्य सचिव ने उपस्थित सभी राज्य कार्यकारिणी पदाधिकारी, विशेष आंमत्रित अतिथियों को राज्य मुख्यालय पधारकर बैठक में उपस्थित होने हेतु धन्यवाद प्रकट किया। सभी से इस संस्था में सहयोग का अनुरोध किया ।

(पारस चंद्र जैन)
राज्य मुख्य आयुक्त
भारत स्काउट एवं गाइड
मध्यप्रदेश

(प्रकाश दिसोरिया)
राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड
मध्यप्रदेश